

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज  
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)


क्रमांक : एफ.18(आई-41)निजमूस/आईडब्ल्यूएमपी/2010-11/792 दिनांक : 10-5-12  
1137

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.18(1-41) निजमूस/आई डब्ल्यूएम.पी./1675-2066 दिनांक 31.08.2010 के द्वारा आई.डब्ल्यूएम.पी. योजना के प्रयोजनार्थ परियोजना कियान्वयन एजेन्सी(पी.आई.ए.) सहायक अभियंता को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 3(ब) के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया गया था।

आई.डब्ल्यूएम.पी. योजना के सुरु कियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्य में उक्त आदेशों में संशोधन करते हुए परियोजना कियान्वयन एजेन्सी (पी.आई.ए.) सहायक अभियंता को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 3 (अ) के अन्तर्गत आई.डब्ल्यूएम.पी. योजना के प्रयोजनार्थ कार्यालयिक घोषित किया जाता है।

उक्त आदेश राज्य सरकार से अनुमोदित है।




निदेशक

क्रमांक : एफ.18(आई-41)निजमूस/आईडब्ल्यूएमपी/2010-11/ दिनांक : 10-5-12  
792-1137

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं अध्यक्ष, एस. एल.एन.ए. राज. जयपुर।
3. शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर.....
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, .....
7. मुख्य लेखाधिकारी, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/एमआईईएस), निदेशालय, जयपुर
9. उप निदेशक, आई.डब्ल्यूएम.पी.- I,II,III, IV,V VI & VII. /परियोजना अधिकारी(भू-संसाधन), निदेशालय, जयपुर।
10. समस्त परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद, .....
11. समस्त लेखाधिकारी जिला परिषद .....
12. सहायक अभियन्ता एवं पी.आई.ए. सम्बन्धित पंचायत समिति ।



निदेशक